



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जनवरी 21, 2010/माघ 1, 1931

No. 123]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2010/MAGHA 1, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2010

का.आ. 142(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 10 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (ख) और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं को उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसी प्रयोगशालाओं को सौंपे गए कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रूप में और स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन सशक्त अधिकारियों को पूर्वोक्त सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्लेषण के लिए भेजे गए वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थों के विश्लेषण करने के प्रयोजनों के लिए सरकारी विश्लेषक के रूप में मान्यता प्रदान करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1174(अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्यांक 9 और 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

सारणी

क्र. सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषणकर्ता का नाम	लागू और कब तक मान्य
(1)	(2)	(3)	(4)
"9	मैसर्स सोफिस्टीकेटिड इन्डस्ट्रियल, मैटीरियल्स एनालाईटिक लैब्स प्रा. लि., सी-95, ओखला इन्डस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020	(1) डॉ. आनंद स्वरूप मुद्गल (2) श्री ए. के. प्रमाणिक (3) डॉ. एन. एस. मेइती	21-01-2010 से 20-01-2015
15	मैसर्स आईएस लैबोरेटरीज प्रा. लि., बी-118, फेज-2, नोएडा-201304 (उत्तर प्रदेश)	(1) श्री विशाल अरोड़ा (2) श्री आर. के. सिंह (3) सुश्री बबिता धर्वल	21-01-2010 से 20-01-2015"

(ii) क्रम संख्या 75 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, नामशः :—

क्र. सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषणकर्ता का नाम	लागू और कब तक मान्य
(1)	(2)	(3)	(4)
"76	मैसर्स इन्डस्ट्रियल टैस्टिंग लैबोरेटरी एण्ड कन्सल्टिंग हाऊस, गहलोरी गेट, पटियाला-147001 (पंजाब)	(1) श्री उमा शंकर सैन (2) श्री कैलाश चंद्र भट्ट (3) श्री यशपाल जैन	21-01-2010 से 20-01-2015
77	मैसर्स आईटीएल लैब्स प्रा. लि., बी-283 और 284, मंगोलपुरी इन्डस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110083	(1) श्री एम. एस. खान (2) श्री दिग्विजय सिंह (3) मिस शिवानी चौधरी	21-01-2010 से 20-01-2015
78	मैसर्स हाईटेक रिसर्च सेंटर, डायना हाऊस, एफ-1/7, ओखला इन्डस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020	(1) डॉ. एस.एन.ए. रिजवी (2) श्री सुनील बहुगुणा (3) श्री विनय दीक्षित	21-01-2010 से 20-01-2015
79	मैसर्स एसवी इन्वायरो लैब्स एण्ड कन्सल्टेंट्स, डी.नं. 38-19-44/2/2 एण्ड 3 ज्योति नगर, मरिंपलेम, विशाखापट्टनम-530018	(1) श्री एम. कृष्णा मुरली (2) श्री एस. चंद्र शेकर (3) श्री एम.एन.वी. रमण	21-01-2010 से 20-01-2015
80	मैसर्स अल्ट्रा टेक इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसी एण्ड लैबोरेटरी, यूनिट संख्या 224, 225, 205, 206, 212, 219, जय कामर्सियल काप्लैक्स, 463, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कैडबरी फैक्टरी के सामने खोपत, थाणे (वैस्ट)-400601 मुम्बई (महाराष्ट्र)	(1) श्री किशोर सावंत (2) श्रीमति दीपा कार्णिक (3) श्री विजय घोलप	21-01-2010 से 20-01-2015"

[फा. सं. ब्यू-15018/7/2003-सीपीडब्ल्यू]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक का.आ. 1174(अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई और पश्चात्पूर्वी संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 1539(अ), तारीख 13 सितम्बर, 2007, का.आ. 1811(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2007, का.आ. 55(अ), तारीख 9 जनवरी, 2008, का.आ. 428(अ), तारीख 4 मार्च, 2008, का.आ. 865(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2008, का.आ. 1894(अ), तारीख 31 जुलाई, 2008, का.आ. 2728(अ), तारीख 25 नवम्बर, 2008, का.आ. 1356(अ), तारीख 27 मई, 2009, का.आ. 1802(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009 और का.आ. 2399(अ), तारीख 18 सितम्बर, 2009 और का.आ. 3122(अ) तारीख 7 दिसम्बर, 2009 और का.आ. 3123(अ) तारीख 18 दिसम्बर, 2009 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2010

S.O. 142(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and Section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 10 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby recognises the laboratories specified in column (2) of the Table given below as environmental laboratories to carry out the functions entrusted to such laboratories under the said Act and the rules made thereunder, and the persons specified in column (3) as Government Analysts for the purposes of analysis of samples of air, water, soil or other substances sent for analysis by the Central Government or the officer empowered under section 11 of the said Act, for

for a period specified in column (4) of the Table aforesaid, and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1174 (E), dated the 18th July, 2007 namely :—

In the Table appended to the said notification—(i) for serial numbers 9 and 15 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

TABLE

Serial Number	Name of the Laboratory	Name of the Government Analyst	Recognition with effect from and valid up to
(1)	(2)	(3)	(4)
“9	M/s. Sophisticated Industrial Materials Analytic Labs. Pvt. Ltd., C-95, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020	(1) Dr. Anand Swaroop Mudgal (2) Mr. A.K. Pramanik (3) Dr. N.S. Meitei.	21-1-2010 to 20-1-2015
15	M/s. AES Laboratories (P.) Ltd. B-118, Phase-II Noida-201304 (U.P.)	(1) Mr. Vishal Arora (2) Mr. R.K. Singh (3) Ms. Babita Dharwal	21-1-2010 to 20-1-2015;”

(ii) after serial number 75 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

“76	M/s. Industrial Testing Laboratory & Consulting House, Ghalori Gate, Patiala-147001 (Punjab)	(1) Mr. Uma Shanker Sain (2) Mr. Kailash Chandra Bhatt (3) Mr. Yash Pal Jain	21-1-2010 to 20-1-2015
77	M/s ITL Labs Pvt. Ltd. B-283 and 284 Mangolpuri Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110083	(1) Mr. M.S. Khan (2) Mr. Digvijay Singh (3) Miss Shiwani Chaudhary	21-1-2010 to 20-1-2015
78	M/s. HiTech Research Centre Dyna House, F-1/7, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020	(1) Dr. S.N.A. Rizvi (2) Mr. Sunil Bahuguna (3) Mr. Vinay Dixit	21-1-2010 to 20-1-2015
79	M/s. SV Enviro Labs & Consultants D. No.-38-19-44/2/2 and 3 Jyothi Nagar, Marripalem Visakapatnam-530018 Andhra Pradesh	(1) Mr. M. Murali Krishna (2) Mr. S. Chandra Shekar (3) Mr. M.N.V. Ramana	21-1-2010 to 20-1-2015
80	M/s. ULTRA TECH Environmental Consultancy and Laboratory, Unit No. 224, 225, 205, 206, 212, 219, Jai Commercial Complex, 463 Eastern Express Highway, Opp. Cadbury Factory, Khopat, Thane (W)- 400 601 Mumbai (Maharashtra)	(1) Mr. Kishor Sawant (2) Mrs. Deepa Karnik (3) Mr. Vijay Gholap	21-1-2010 to 20-1-2015.”

[F. No. Q. 15018/7/2003-CPW]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 1174 (E), dated the 18th July, 2007 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 1539 (E), dated the 13th September, 2007, S.O. 1811(E), dated the 24th October, 2007, S.O. 55(E), dated 9th January, 2008, S.O. 428 (E), dated the 4th March, 2008, S.O. 865 (E), dated the 11th April, 2008, S.O. 1894 (E), dated the 31st July, 2008, S.O. 2728 (E), dated the 25th November, 2008, S.O.1356(E) dated the 27th May, 2009, S.O. 1802 (E), dated the 22nd July, 2009 and S.O. 2399 (E), dated the 18th September, 2009 and S.O. 3122(E), dated the 7th December, 2009 and S.O. 3123 (E), dated the 7th December, 2009.